



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072024-255043
CG-DL-E-01072024-255043

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]
No. 167]

नई दिल्ली, रविवार, जून 30, 2024/आषाढ 9, 1946
NEW DELHI, SUNDAY, JUNE 30, 2024/ASHADHA 9, 1946

वाणिज्य विभाग

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जाँच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2024

मामला सं - एडी (ओआई) - 14/2024

विषय : चीन जन. गण., पेरू और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एक्रिलिक फाइबर" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा.सं. 6/16/2024-डीजीटीआर.—इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड, पशुपति एक्रिलिक लिमिटेड और वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "घरेलू उद्योग" अथवा "आवेदक" के रूप में भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" के रूप में भी कहा गया है) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन. गण., पेरू और थाईलैंड (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एक्रिलिक फाइबर" के कथित पाटन के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार और प्रकार के ऐक्रेलिक फाइबर है। ऐक्रेलिक फाइबर सिंथेटिक बहुलक की एक लंबी श्रृंखला है जो ऐकिलोनिट्राइल के वजन से कम से कम 90% से बना है, जो ऐक्रेलिक फाइबर का उत्पादन करने के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है। ऐक्रेलिक फाइबर शब्द में ऐक्रेलिक स्टेपल, ऐक्रेलिक टो और ऐक्रेलिक टॉप शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, ऐक्रेलिक स्टेपल फाइबर, ऐक्रेलिक टो और ऐक्रेलिक टॉप को व्यावसायिक भाषा में ऐक्रेलिक फाइबर के रूप में जाना जाता है।
4. विचाराधीन उत्पाद के लिए वर्तमान जांच के माप की इकाई मीट्रिक टन (एम.टी.) है।
5. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 55 के अंतर्गत 55013000, 55033000 और 55063000 उपशीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस उत्पाद का आयात 55033010 और 55033090 के अंतर्गत भी किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
6. वर्तमान जांच के पक्षकार विचाराधीन उत्पाद पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और जांच शुरू करने की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर पी.सी.एन. (औचित्य के साथ), यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं। बिना औचित्य के किए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

ख. समान वस्तु

7. आवेदकों ने दावा किया है कि संबंधित देशों से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदकों द्वारा उत्पादित विषय वस्तुएं और विषय देशों से आयातित वस्तुएं आवश्यक उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, कार्यों, उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण, विपणन और माल के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का परस्पर उपयोग करते हैं। आवेदकों ने आगे दावा किया है कि दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं और इसलिए, नियमों के तहत अनुच्छेद के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, आवेदकों द्वारा उत्पादित उत्पाद को विषय देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के लिए लेख के समान माना जा रहा है।

ग. संबद्ध देश

8. वर्तमान जांच में संबद्ध देशों में चीन जन. गण., पेरू और थाईलैंड हैं।

घ. जांच की अवधि (पी.ओ.आई.)

9. आवेदकों ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023 प्रस्तावित की थी। तथापि, प्राधिकारी ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 मानी है। क्षति सूचना अवधि में वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 और जांच की अवधि शामिल है।

ड. घरेलू उद्योग और आधार

10. यह आवेदन इंडियन ऐकिलिक लिमिटेड, पशुपति ऐकिलिक लिमिटेड और वर्धमान ऐकिलिक्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों का उत्पादन उत्पाद के भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत है और भारत में समान वस्तु के कोई अन्य उत्पादक नहीं हैं।
11. प्रस्तुत सूचना के आधार पर, प्राधिकारी ने नोट किया कि इंडियन ऐकिलिक लिमिटेड ने जांच अवधि के दौरान विषयगत देशों में से एक से विचाराधीन उत्पाद की छोटी मात्रा का आयात किया है। आवेदकों में से एक द्वारा किए गए आयात मात्रा में नगण्य हैं। आवेदकों ने यह भी कहा है कि वे न तो विषयगत देशों में किसी निर्यातक से संबंधित हैं और न ही विषयगत वस्तुओं के आयातक से।

12. उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, प्रथम दृष्टया यह माना गया है कि आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ में 'घरेलू उद्योग' से संबंधित है तथा आवेदन नियम 5(3) के अनुसार मानदंडों को पूरा करता है।

च. सामान्य मूल्य

I. चीन जन. गण.

13. आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

14. आवेदकों ने तुर्की से भारत में आयात मूल्य के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है। इच्छुक पार्टियां आवेदकों द्वारा प्रस्तावित सामान्य मूल्य पद्धति पर अपनी टिप्पणियां दे सकती हैं। इस जांच को शुरू करने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभ के विधिवत समायोजन के बाद भारत में उत्पादन की लागत पर विचार करते हुए भारत में देय मूल्य के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

II. पेरू और थाईलैंड

15. आवेदकों ने पेरू और थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से सीएमए रिपोर्ट में प्रकाशित मूल्य पर भरोसा किया है। आरंभ के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी ने पेरू और थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए उसी पर विचार किया है।

छ. निर्यात कीमत

16. संबद्ध वस्तुओं का निर्यात मूल्य संबद्ध वस्तुओं के सीआईएफ मूल्य पर विचार करके निर्धारित किया गया है जैसा कि डीजी सिस्टम्स के सौदा – वार डेटा में बताया गया है। कारखाना बाह्य निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए समुद्री माल, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय मालभाड़ा, बंदरगाह व्यय और बैंक शुल्क के संबंध में मूल्य का समायोजन किया गया है।

ज. पाटन मार्जिन

17. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना कारखाना स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध

18. आवेदकों ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किया है। संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा में निरपेक्ष तथा सापेक्ष, दोनों तरह से वृद्धि हुई है, बावजूद इसके कोई मांग व आपूर्ति का अंतर नहीं है। संबद्ध देशों से मूल्य में कटौती सकारात्मक है। पाटित किए गए आयातों के कारण, मूल्य में हुई गिरावट ने घरेलू उद्योग को पूरी लागत वसूलने और उचित दर पर प्रतिफल प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतें बढ़ाने से रोक दिया है और लाभप्रदता में काफी कमी आई है। संबद्ध देशों से पाटित किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल में गिरावट आई है। संबद्ध देशों से आयातित पाटन के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली भौतिक क्षति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं जो पाटनरोधी जांच शुरू करने को उचित ठहराते हैं।

ञ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

19. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति तथा ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को प्रमाणित करने वाले घरेलू उद्योग प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा

9क के अनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने के लिए जांच शुरू करते हैं, जिसे यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ट. प्रक्रिया

20. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ठ. सूचना प्रस्तुत करना

21. निर्दिष्ट प्राधिकारी संचार ई-मेल पत्तों dir16-dgtr@gov.in और dd17-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adg16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/ एमएस वर्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजी जाने योग्य होनी चाहिए।
22. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत की अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथाविहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत की अधिसूचना, पाटनरोधी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
24. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका एक अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे जांच के संबंध में किसी अद्यतन जानकारी के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वेबसाइट (<http://www.dgtr.gov.in/>) पर नियमित रूप से नजर रखें।

ड. समय सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन के अगोपनीय पाठ को दाखिल किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ई-मेल पत्तों dir16-dgtr@gov.in और dd17-dgtr@gov.in तथा उसकी प्रति adg16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को ई-मेल के माध्यम से परिचालित की जाएगी अथवा निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनायिक प्रतिनिधि को भेजी जाएगी। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस इस अधिसूचना में उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
28. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडीडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए।

ढ. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुती

29. वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

30. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
31. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
32. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।
33. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध उचित नहीं है, या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत करने या सारांशीकृत रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।
34. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषयवस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है और नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।
35. इच्छुक पार्टियां दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण को प्रसारित करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य इच्छुक पार्टी द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणी दे सकती हैं।
36. सार्थक अगोपनीय अंश या नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी समुचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के संबंध में पर्याप्त कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी गोपनीय अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
37. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
38. यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार करते हैं तो वह ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ग. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

39. हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें। अनुरोधों के अगोपनीय अंश का परिचालन नहीं करने पर इस जांच शुरूआत अधिसूचना के खंड-ठ के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

त. असहयोग

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित और अलग पत्र के जरिए दी गई आगामी समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्धतथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

DEPARTMENT OF COMMERCE
(Ministry of Commerce and Industry)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2024

Case No. AD (OI)-14/2024

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of ‘Acrylic Fibre’ from China PR, Peru and Thailand.

F. No. 6/16/2024-DGTR.—Indian Acrylic Limited, Pasupati Acrylon Limited and Vardhaman Acrylics Limited (hereinafter referred to as the ‘domestic industry’ or ‘applicants’) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (herein also referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the ‘Rules’) for initiation of an anti-dumping investigation on the imports of ‘Acrylic Fibre’ (hereafter referred to as ‘subject goods’ or ‘product under consideration’), originating in or exported from China PR, Peru and Thailand (hereafter referred to as the ‘subject countries’).

2. The applicants have alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to dumped imports of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and has requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the product under consideration from the subject countries.

A. Product under consideration (PUC)

3. The product under consideration in the present investigation is acrylic fibre of all types and kinds. acrylic fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of acrylonitrile, which is a major raw material to produce acrylic fibre. The terms acrylic fibre includes acrylic staple, acrylic tow and acrylic top. In other words, acrylic staple fibre, acrylic tow and acrylic top are known as acrylic fibre in the commercial parlance.

4. The unit of measurement considered in the present investigation for the product under consideration is Metric Tons (MT).

5. The product under consideration is classified under Chapter 55 of the Customs Tariff Act, 1975 under the sub-headings 55013000, 55033000 and 55063000. The product is also being imported under 55033010 and 55033090. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the investigation.

6. The parties to the present investigation may provide their comments on the product under consideration and propose PCNs (with justification), if any, within 15 days of circulation of the receipt of intimation of initiation of the investigation. Submissions made without justification will not be considered by the Authority.

B. Like article

7. The applicants have claimed that there is no known difference between the subject goods exported from the subject countries and that produced by the applicants. Subject goods produced by the applicants and those imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers use the two interchangeably. The applicants have further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as like article under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the product produced by the applicants is being treated as like article to the product under consideration imported from the subject countries.

C. Subject countries

8. The subject countries in the present investigation are China PR, Peru and Thailand.

D. Period of investigation (POI)

9. The applicants had proposed the period of investigation as 1st April 2023 to 31st December 2023. However, the Authority has considered period of investigation as 1st April 2023 to 31st March 2024. The injury information period covers the financial year of 2020-21, 2021-22 and 2022-23 and the period of investigation.

E. Domestic industry and standing.

10. The application has been filed by Indian Acrylic Limited, Pasupati Acrylon Limited and Vardhaman Acrylics Limited. The production of the applicants constitutes 100% of Indian production of the product, and there are no other producers of the like article in India.
11. On the basis of the information furnished, the Authority notes that Indian Acrylic Limited has imported small quantity of the product under consideration from one of the subject countries during the period of investigation. The imports made by one of the applicants are insignificant in volume. The applicants have also stated that they are neither related to any exporter in the subject countries nor to importer of the subject goods.
12. Based on the information provided, it is *prima facie* considered that the applicants constitute 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

F. Normal value**I. China PR**

13. The applicants have submitted that China PR should be treated as a non-market economy, and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the subject goods. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.
14. The applicants have proposed to determine normal value for China on the basis of import price from Turkiye to India. The interested parties may offer their comments on the normal value methodology proposed by the applicants. The Authority for the purpose of initiation of this investigation has considered normal value for China based on price payable in India considering the cost of production in India after duly adjustment of selling, general and administrative expenses and reasonable profit.

II. Peru and Thailand

15. The applicants have relied on the price published in the CMA report for the purpose of determining normal value for Peru and Thailand. For the purposes of initiation, the Authority has considered the same for determining the normal value for Peru and Thailand.

G. Export price

16. The export price of the subject goods has been determined by considering the CIF price of the subject goods, as reported in the DG Systems transaction wise data. The price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight, port expenses, and bank charges to arrive at ex-factory export price.

H. Dumping margin

17. The normal value and export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is not only above *de-minimis* level, but also significant. Thus, there is *prima facie* evidence that the product under consideration is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject countries.

I. Injury and Causal Link

18. The applicants have provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered because of dumped imports. The volume of the subject imports from the subject countries has increased in absolute terms as well as relative term despite no demand supply gap. The price undercutting from the subject countries is positive. The price depression caused by the dumped imports have prevented the domestic industry from increasing its prices to recover the full cost and achieve a reasonable rate of return and has suffered significantly in profitability. Because of dumped imports from the subject countries, the production and capacity utilisation of the domestic industry have declined. The market share and return on capital employed of the domestic industry too have declined in the period of investigation. There is sufficient *prima facie* evidence of material injury being caused to the domestic industry due to dumped imports from the subject countries to justify the initiation of the anti-dumping investigation.

J. Initiation of Anti-Dumping Investigation

19. On the basis of the duly substantiated application filed by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, substantiating

dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates the investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

K. Procedure

20. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

L. Submission of information

21. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dir16-dgtr@gov.in and dd17-dgtr@gov.in with a copy to adg16-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
22. The known producers/exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their embassies in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
23. Any other interested party may also make submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
25. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

M. Time limit

26. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses dir16-dgtr@gov.in and dd17-dgtr@gov.in with a copy to adg16-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in within 30 days from the date on the non-confidential version of the documents filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.
28. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

N. Submission of information on confidential basis

29. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
30. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
31. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/ or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

32. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
34. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
35. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the other interested party within 7 days from the date of circulating of the non-confidential version of the documents.
36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
37. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
38. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

O. Inspection of Public File

39. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

P. Non-cooperation

40. In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested parties as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority